न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2022/17 तारीख रजू 03.03.2022
प्रार्थना पत्र संख्या 36 / 2022

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) खण्डार

..........प्रार्थी

बनाम

1. नागाराम पुत्र सांवड्या बैरवा निवासी ग्राम बालेर तहसील खण्डार।
2. गीता पत्नि नागाराम बैरवा निवासी ग्राम बालेर तहसील खण्डार।

.......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 16.01.2026

यह प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार खण्डार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 05.06.2002 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण नागाराम पुत्र सांवड्या बैरवा निवासी ग्राम बालेर तहसील खण्डार एवं गीता पत्नि नागाराम बैरवा निवासी ग्राम बालेर तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 804 / 259 रकबा 1.00 बीघा वाके ग्राम बालेर में आदेश दिनांक 05 / 06 / 2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 804 / 259 रकबा 1.00 बीघा पर फर्द मौका दिनांक 30.07.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर मकान व बाडा 1.00 बीघा में बने होने व आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। अप्रार्थीगण असालतन / वकालतन उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 804 / 259 रकबा 1.00 बीघा आदिनांक तक अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। पटवारी [illegible]लेर की मौका रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 के अनुसार आवंटियो का मकान व बाडा पाया [illegible] आवंटी को भूमि कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई थी किन्तु कृषि उपयोग में ना [illegible] मकान बाडा बना लिया गया है जो कि आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। अन्त में पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:45:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 05.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार खण्डार से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आवंटी नागाराम पुत्र सांवड्या बैरवा निवासी ग्राम बालेर तहसील खण्डार एवं गीता पत्नि नागाराम बैरवा निवासी ग्राम बालेर तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 804/259 रकबा 1.00 बीघा वाके ग्राम बालेर में आदेश दिनांक 05/06/2002 द्वारा आवंटित किया गया था। मौका रिपोर्ट के अनुसार गैर-खातेदार नागाराम पुत्र सांवड्या बैरवा एवं गीता पत्नि नागाराम बैरवा निवासी ग्राम बालेर तहसील खण्डार ने आराजी खसरा नम्बर 804/259 रकबा 1.00 बीघा पर मौके पर मकान व बाडा बना रखा है चूंकि आवंटी को भूमि कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई थी किन्तु कृषि उपयोग में ना लेकर मकान बाडा बना लिया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं होना पाया गया है। अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 05/06/2002 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बालेर के आराजी खसरा नम्बर 804/259 रकबा 1.00 बीघा वाके ग्राम बालेर को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:45:04 IST
Reason: SelfAttested